



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275975
CG-DL-E-03092026-275975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4668]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948

No. 4668]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2026

का.आ. 4855(अ).—जबकि मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत पता प्लॉट संख्या 152, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, भारत है, ने ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के जैसलमेर में मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 25-17/8/2026-POWER GRID (MoP) दिनांक 08.01.2026 के अंतर्गत मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसमिशन योजना "राजस्थान के जैसलमेर में मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों मरू लहर (हिंदी में) दिनांक 30.01.2026, हिंदुस्तान बॉर्डर (हिंदी में) दिनांक 30.01.2026, दैनिक भास्कर (हिंदी में) दिनांक 30.01.2026, राजस्थान पत्रिका (हिंदी में) दिनांक 30.01.2026, द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेज़ी में) दिनांक 30.01.2026 तथा द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी में) दिनांक 30.01.2026 और साप्ताहिक राजपत्र में दिनांक 14.02.2026 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित

किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांकित 08.06.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के अधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 01.06.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:

- एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड सौर विद्युत परियोजना (स्विचयार्ड ग्राम दलपतपुरा, जिला जैसलमेर, राजस्थान में स्थित) से फतेहगढ़-II (आईएसटीएस) पूलिंग स्टेशन तक 400 केवी सिंगल सर्किट लाइन डबल सर्किट टावरों पर

इस योजना के अंतर्गत शामिल ट्रांसमिशन लाइन निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उनके ऊपर, चारों ओर और उनके बीच से गुजरेंगी।

गांव के नाम	तहसील	जिला	राज्य
सावता, सांवता, फतेहसर, देवीकोट, केहर फकीर की ढाणी, अमरपुरा, भोपा, लखमाणा, छोडीया, भीखसर, लाला, कराडा, उत्तम नगर	फतेहगढ़	जैसलमेर	राजस्थान
रामदेव नगर, अमरसर, भैंसडा, संग्राम सिंह की ढाणी, बेतिणा, बेतीणा, नया लूणा कला, लूणा कला, मोतीसर, लूणा खुर्द, अचलपुरा, दलपतपुरा	पोकरण/पोखरण	जैसलमेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मेसर्स एकमे क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/66/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 28th August, 2026

S.O. 4855(E).—Whereas M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited having its registered address at Plot No.152, Sector-44, Gurugram, Haryana, 122002, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for its 1000 MW solar power project in Jaisalmer, Rajasthan”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/8/2026-POWER GRID (MoP) dated 08.01.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for its 1000 MW solar power project in Jaisalmer, Rajasthan”.

M/s. ACME Cleantech Solutions Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Maru Laher (in Hindi) dated 30.01.2026, Hindustan Border (in Hindi) dated 30.01.2026, Dainik Bhaskar (in Hindi) dated 30.01.2026 and Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 30.01.2026, The Times of India (in English) dated 30.01.2026 and The Indian Express (in English) dated 30.01.2026 and in Weekly Gazette of India dated 14.02.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two Months from the date of publication. Subsequently, M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited has submitted an affidavit dated 08.06.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

M/s. ACME Cleantech Solutions Private Limited had submitted an Undertaking dated 01.06.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon’ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon’ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon’ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so

established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing connectivity to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for its 1000 MW solar power project in Jaisalmer, Rajasthan” The following overhead line is covered under this scheme:

- ACME Cleantech Solutions Private Limited Solar Power Project (switchyard located in Village Dalpatpura, District Jaisalmer, Rajasthan) – Fatehgarh-II (ISTS) Pooling Station 400 kV S/c line on D/c towers.

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Name of the villages	Tehsil	District	State
Sawata, Sanwata, Fatehsar, Devikot, Kehar Fakir Ki Dhani, Amarpura, Bhopa, Lakhmana, Chodiya, Bhikhsar, Lala, Karada, Uttam Nagar	Fatehgarh	Jaisalmer	Rajasthan
Ramdev Nagar, Amarsar, Bhainsada, Sangram Singh ki Dhani, Betina, Baiteena, Naya Luna Kala, Luna Kala, Pokaran/Pokhran, Motisar, Luna Khurd, Achalpura, Dalpatpura	Pokaran/Pokhran	Jaisalmer	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s ACME Cleantech Solutions Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/66/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secretary (PG)